न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 70/2019

1. महावीर पुत्र स्व. श्री मूलचन्द आयु 50 वर्ष
2. हरफूल पुत्र स्व. श्री मूलचन्द आयु 46 वर्ष
3. गोपालराम पुत्र स्व. श्री मूलचन्द आयु 40 वर्ष
4. इन्द्रराज सांई पुत्र स्व. श्री मूलचन्द आयु 38 वर्ष
5. सजना देवी पुत्री स्व. श्री मूलचन्द आयु 48 वर्ष
6. सुनीता पुत्र स्व. श्री मूलचन्द आयु 35 वर्ष
7. दड़कली देवी पत्नि स्व. श्री मूलचन्द आयु 80 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी करमली तन् कल्याणपुरा (सांई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित – श्री कमल कुमार शर्मा वकील वादी

निर्णय

दिनांक –19.10.20

संक्षेप में वाद वादी इस प्रकार है कि ग्राम ढ़ाणी करमली पटवार हल्का कल्याणपुरा भूमि खसरा नंबर 716, 717, 865 कुल किता 3 रकबा 4.59 है., खसरा नंबर 709, 857 से 864, 868 से 871, 873 से 878 कुल किता 19 रकबा 17.02 है., खसरा नंबर 828 से 831, 834 से 836, 841, 842, 849 कुल किता 10 कुल रकबा 8.81 है. तथा ग्राम कल्याणपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 705, 708, 711, 712 कुल किता 4 कुल रकबा 2.65 है. में मुरली पुत्र भूरा सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 04.04.2013 को हो चुकी है। जबकि वादीगण के पिता मृतक खातेदार का वास्तविक नाम मूलचन्द पुत्र भूरा है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2020.10.26 12:07:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

वादीगण के पिता का समस्त रिकॉर्ड यथा परिवार राशन कार्ड, वोटर आईडी एवं सर्विस रिकॉर्ड में भी मूलचन्द पुत्र भूरा दर्ज है परन्तु वरवक्त प्रथम सेटलमेन्ट खातेदारी दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों ने गलती से वादीगण के पिता का नाम मुरली पुत्र भूरा दर्ज कर दिया। जिस कारण वादीगण को काफी हक तलफी है। प्रतिवादी को नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर न्यायालय से वाद दायर कर आदेश लाने हेतु कहने पर वाद अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम मुरली पुत्र भूरा के स्थान पर मूलचन्द पुत्र भूरा दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम व हिस्सा बराबर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

वादीगण का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पटवारी हल्का की रिपोर्ट बाद तस्दीक पेश हुयी। वादीगण ने वाद के समर्थन में वादीया संख्या 7 का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया। बहस वकील वादी सुनी गयी।

बहस वकील वादी सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, रिपोर्ट पटवारी एवं तहसीलदार, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी में ढ़ाणी करमली में खसरा नंबर 828 से 831, 834 से 836, 841, 842, 849 कुल किता 10 कुल रकबा 8.81 है. को छोड़कर शेष वादग्रस्त आराजी में मुरली पुत्र भूरा सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण का कथन कि वादीगण के पिता का वास्तविक नाम मूलचन्द पुत्र भूरा है एवं राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से मुरली पुत्र भूरा दर्ज कर दिया है। वादीगण ने अपने इस कथन के समर्थन में परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा, भारतीय सेना के सर्विस रिकॉर्ड का पहचान पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगण के पिता का नाम मूलचन्द दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी एवं पत्र क्रमांक भूअ/2020/1943 दिनांक 07.09.2020 कार्यालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर में भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि मुरली पुत्र भूरा व मूलचन्द पुत्र भूरा अलग-अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं एवं मुरली पुत्र भूरा के स्थान पर मूलचन्द पुत्र भूरा करने की अभिशंषा की है। इस

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2020.10.26 12:07:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, साक्ष्य, दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वाद वादी बाबत् घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम ढ़ाणी करमली के भूमि खसरा नंबर 716, 717, 865 कुल किता 3 रकबा 4.51 है., खसरा नंबर 709, 857 से 864, 868 से 871, 873 से 878 कुल किता 19 रकबा 17.02 है. तथा ग्राम कल्याणपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 705, 708, 711, 712 कुल किता 4 कुल रकबा 2.65 है. में मृतक खातेदार मुरली पुत्र भूरा के स्थान पर वादीगण 01 लगायत 07 का नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

(बृजेश कुमार)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2020.10.26 12:07:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner